



कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 763 / 12-1 (1) दिनांक, देहरादून, सितम्बर 07, 2015

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर वन कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

विषय:-

जनपद-देहरादून के अन्तर्गत शम्भू की चौकी से ददऊ-पंजिया-बनसार-तुरउ तक विस्तार कि०मी० 2 से 11 तक मार्ग निर्माण हेतु अपेक्षित 1.8536 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता का पत्रांक 497/ 12-1 दिनांक 13-8-2015 तथा पत्रांक 731/ 12-1 दिनांक 04-09-2015 (FPI/UK/ROAD/ 10464 /2015)

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता ने अपने पत्रांक 731/ 12-1 दिनांक 04-09-2015 के द्वारा जनपद देहरादून के अन्तर्गत शम्भू की चौकी से ददऊ-पंजिया-बनसार-तुरउ तक विस्तार कि०मी० 2 से 11 तक निर्माण हेतु अपेक्षित 1.8536 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत ऑन लाईन प्रेषित किया है। प्रस्ताव में वांछित वन भूमि की विधिक स्थिति निम्न प्रकार है ।

प्रभाग / रेंज का नाम.	वांछित भूमि की विधिक स्थिति	लम्बाई चौड़ाई मीटर	X	क्षेत्रफल हेक्टर	कुल बाधित वृक्षों की संख्या	बाधित बांज के वृक्ष जो कालम 5 में सम्मिलित हैं, की संख्या
1	2	3	4	5	6	6
चकराता वन प्रभाग, रीवर रेंज	सिविल वन भूमि मौजा दधौ, पंजिया, बनसार तथा दुरौ	2648 X 7	1.8536	42	42	बांज वृक्ष नहीं हैं
अपर वन बड़कोट	योग वन भूमि नाप भूमि- ग्राम मौजा दधौ, पंजिया, बनसार तथा दुरौ	7352 X 7	1.8536	42	42	रिक्त
	योग	10000 मीटर	-	500	500	बांज वृक्ष नहीं हैं

प्रस्तावित मार्ग के समरेखण में कुल 500 वृक्ष वन भूमि में बाधित हैं। प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता के द्वारा स्थल का निरीक्षण दिनांक 30-7-2015 को किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता के द्वारा प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु अन्य कोई विकल्प न होने के कारण वांछित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य के लिए संस्तुति की गई है। जिलाधिकारी, देहरादून के स्तर से भी वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत तथाकथित वांछित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रत्यावर्तन कार्य के लिए संस्तुति की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता की संस्तुति के पश्चात इस स्तर से निर्धारित सलग्न प्रपत्र- III में संस्तुति सहित प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

संलग्नक-यथोपरि ।

(आर०के०मिश्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 763/12-1(1)

प्रतिलिपि, प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग, चकराता को उनके पत्रांक 731/ 12-1 दिनांक 04-09-2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर०के०मिश्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

0/c

भाग-III

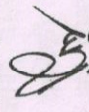
(संबंधी वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

कार्य का नाम- जनपद-देहरादून के अन्तर्गत शम्भू की चौकी से ददऊ -पंजिया -बनसार -तुरउ तक विस्तार कि०मी० 2 से 11 तक मार्ग निर्माण हेतु अपेक्षित 1.8536 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्रमांक 14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जी, नहीं ।
क्रमांक 15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं ।	सहमत हैं ।
क्रमांक 16	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	संस्तुति की जाती है।

दिनांक - सितम्बर, 2015
स्थान - देहरादून ।

हस्ताक्षर


नाम - (आर०के०मिश्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।